भारत संघ

बनाम

ए.दुराईराज (डी) एल आर एस द्वारा

(सिविल अपील संख्या 1783/2005)

1 दिसंबर 2010

(आर.वी.रवींद्रन पी. सतशिवम और ए. के. पटनायक जे. जे.)

भारत का संविधान 1950;

अनुच्छेद 226-लिखित याचिका-विलंब और विलंब का व्यतीत हो जाना-कर्मचारी को 1976 में सहायक सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर(एएसटीई) के रूप में तदर्थ पदोन्नति से वंचित कर दिया गया थाए क्योंकि चिकित्सा रिपोर्ट में उन्हें वर्णान्ध दिखाया गया था वर्ष 1998 में कर्मचारी द्वारा बी.ई. की डिग्री प्राप्त करने पर उसे पदोन्नति के लिए सूचीबद्ध किए जाने के लिए चिकित्सा जांच-मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट अनुकूल.दिसंबर 1998 में कर्मचारी द्वारा प्रतिनिधित्व कि उन्हें 1976 में अन्यायपूर्ण रूप से तदर्थ पदोन्नति से इनकार कर दिया गया था-अस्वीकार कर दिया गया-(ओ.ए.) विलंब और विलंब के आधार पर अधिकरण द्वारा एक रिट में उच्च न्यायालय ने नियोक्ता को 2 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति भुगतान करने का निर्देश देने वाली याचिका। निर्णित: भले ही कोई समय

सीमा निर्धारित नहीं हैए कोई भी विलंबित चुनौती को विलंब और विलंब के आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है अन्यथा यह गंभीर प्रशासनिक जटिलताओं कारण बन सकता है-हस्तगत मामले में 1985 के अधिनियम की धारा 21ए अधिकरण तक पहुँचने के लिए समय सीमा निर्धारित करती है- अन्यथा, 1976 में गैर-चयन को अन्तिम रूप मिल गया था-उच्च न्यायालय ने 1976 की चिकित्सा रिपोर्ट को प्रामाणिक ठहराते हुएए कर्मचारी को इस अस्पष्ट धारणा पर मुआवजा देना उचित नहीं माना कि उसे अवसर और मानसिक पीड़ा का नुकसान उठाना पड़ा था-उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त कर दिया गया-प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985-धारा-21 विलम्ब के प्रभाव-क्षतिपूर्ति

सेवा कानूनः

सहायक संकेत और दूरसंचार इंजीनियर के पद पर पदोन्नति.रंग दृष्टि परीक्षण-1976 में चिकित्सा रिपोर्ट ने कर्मचारी के रंग दृष्टिहीन होने का संकेत दिया-तदर्थ पदोन्नति से इनकार.1998 और 2000 में उन्नत उपकरण के साथ वर्णान्धता न्यूनतम पायी गयी-इसके बाद कर्मचारी को पदोन्नत किया गया- कर्मचारी के दावा किया कि 1976 में उनके लिए अस्थायी पदोन्नति से इनकारी उचित निर्णित 2000 की चिकित्सा रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि 1976 की मेडिकल रिपोर्ट ना तो गलत थी न ही यह किसी लापरवाही का परिणाम था-उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकार करने का उचित आधार था- इसके अलावा कर्मचारी पदोन्नति के लिए आयोजित लिखित परीक्षा 1980 में विफल रहा था इसलिए नियमित पदोन्नति का हकदार नहीं होता भले ही वह रंग अंध न होता-कर्मचारी को 1976 में तदर्थ पर पदोन्नत करने में विफलता के आधार पर उनके नियमित होने की संभावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ा- पदोन्नत.कर्मचारी के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है।

प्रत्यर्थी एक अनुसूचित जाति से संबंधितए वर्ष 1976 में सहायक सिग्नल और दूरसंचार इंजीनियर(ए.एस.टी.ई) के पद पर तदर्थ पदोन्नति के लिए विचार किया गया थाए लेकिन उनके पद के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया। चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट यह इंगित कर रही थी कि वह

वर्णान्धता से ग्रसित था। वर्ष 1998 में प्रतिवादी ने बी.ई. की डिग्री प्राप्त की। और उसको ग्रुप बी, में पदोन्नति के लिए योग्य कर्मचारी मानते हुए चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा गया था। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट अनुकूल थी और प्रतिवादी को सहायक कार्य प्रबंधक के पद पर तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया था। उत्तरदाता ने तब दिनांकित 28.12.1998 और 3.9.1999 को अभ्यावेदन दिये और उत्तरदाता ने तर्क दिया कि उन्हें 1976 में अस्थायी पदोन्नति के लिए अनुचित तरीके से अस्वीकार कर दिया गया था, और इसलिए उन्हें 1976 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ एएसटीई के रूप में पदोन्नति दी जानी चाहिए साथ ही सभी परिणामी पदोन्नति भी। चूंकि उस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया था इसलिए प्रत्यर्थी ने पहले एक ओ.ए. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष दायर किया था जिसने प्राधिकारियों को अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए निर्देश दिया गया। तदनुसारए प्रत्यर्थी के अभ्यावेदन पर विचार किया गया और दिनांक 8.2.2000 के आदेश द्वारा उन्हें एक विशेष आदेश के जरिये उसे चिकित्सकीय जाँच हेतु निर्देशित किया गया था। प्रत्यर्थी ने उक्त आदेश को एक अन्य ओ.ए.में चुनौती देते हुए अपने रुख को दोहराया। पूर्ववर्ती ओ.ए.और अधिकारियों को निर्देश देने की मांग करते हुए उन्हें उप प्रमुख ए एस एंड टी कार्यशाला डब्ल्यू ई एफ 1991 के पद पर पदोन्नत करने के लिएए जब उनके अनुसार उक्त पद पर उनकी पदोन्नति देय हो गई। आदेश दिनांक 8.2.2000 का अवलोकन करते हुए प्रतिवादी को

वर्णान्धता के लिए एक व्यापक परीक्षण और नवीनतम उपकरणों का उपयोग करने वाले विशेषज्ञों की एक टीम के लिए भेजा गया था जिसमें वर्णान्धता न्यूनतम होनी चाहिएए जो उनके काम को प्रभावित नहीं करेगा। हालांकि अधिकरण ने प्रतिवादी के आवेदन को खारिज कर दिया। इसके बाद प्रतिवादी ने एक रिट याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की। इस बीच उसे दिनांक 22.11.2002 को ए एस टी सी के रूप में पदोन्नति दी गई और वह दिनांक 30.4.2003 को सेवानिवृत्त हुए। उच्च न्यायालय ने कहा कि बाद में निदान किया गया कि रंग अंधापन तकनीकी रूप से उन्नत उपकरणों के साथ व्यापक परीक्षा प्रक्रिया के कारण न्यूनतम था एउस स्तर पर उपलब्ध था और यह स्थापित नहीं किया कि 1976 में राय या तो दुर्भावनापूर्ण या लापरवाही थी लेकिन नियोक्ताओं को 2 लाख रुपये कर्मचारी को मुआवजे के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया। व्यथित नियोक्ताओं ने अपील दायर की।

न्यायालय द्वारा अपील को स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया गया कि:-

1.यह अच्छी तरह से सुस्थापित है कि जो कोई भी गैर-पदोन्नति या गैर-चयन से व्यथित महसूस करता है उसे अदालत न्यायाधिकरण से जल्द से जल्द संपर्क करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति एक न्यायोचित शिकायत मामले को बासी होने की अनुमति देता है और अदालत न्यायाधिकरण से

देर से संपर्क करता हैए किसी भी मामले की मंजूरी देता है। इस तरह के विलंबित आवेदन के आधार पर राहत नियोक्ता के लिए गंभीर प्रशासनिक जटिलताओं का कारण बनेगी। और अन्य कर्मचारियों के लिए कठिनाइयाँ उत्पन्न करेगा और यह कर्मचारियों के वरिष्ठता और पदोन्नति के संबंध में तय की गई स्थिति जो वर्षों से दूसरों को दिया गया है को प्रभावित करेगी। इसके अलावा जहाँ एक या दो दशक से अधिक समय तक दावा किया जाता है कार्रवाई के कारण की तारीख नियोक्ता एक विकट स्थिति में होगा कि दावे का प्रभावी ढंग से विरोध करने या विरोध करने के लिए नुकसान मामले से निपटने वाले अधिकारियों के रूप में और मामले से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड अब उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। इसलिए भले ही कोई समय सीमा विहित न होए कोई भी विलंबित याचिका विलंब/विलंबित के आधार पर खारिज जाने के लिए उत्तरदायी होगी। हालांकि हस्तगत मामले में प्रशासनिक अधिकरणों का अधिनियम 1885 की धारा 21 में अधिकरण तक पहुँचने के लिए समय सीमा निर्धारित है। उच्च न्यायालय को प्रतिवादी के 1976 से पूर्वव्यापी प्रभाव से पदोन्नति के लिए आवेदन को विलंब/विलंबित के आधार पर खारिज करते हुए अधिकरण के आदेश की पुष्टि करनी चाहिए थी (पैरा12.13.14,)(992. सी.एफ 991.जी.एच 993.एच 994.ए,)

भारत संघ बनाम एम के सरकार 2009 (16) एससीआर 249 = 2010(2) एस सी सी 58-पर निर्भर

2.1 यह तथ्य कि प्रतिवादी का 1976 में चिकित्सीय परीक्षण किया गया था और वह रंग-अंधता से ग्रस्त पाया गया था विवादित नहीं है। प्रतिवादी ने न तो तदर्थ एएसटीई के रूप में अपनी पदोन्नति न होने और न ही मेडिकल रिपोर्ट को चुनौती दी। गैर-चुनौती के कारण 1976 में उनके गैर-चयन से संबंधित मुद्दे को अंतिम रूप दिया गया और उसी मुद्दे को वर्ष 1999-2000 में फिर से नहीं खोला जा सका इस आधार पर कि 1998 और 2000 में किए गए मेडिकल परीक्षणों से पता चला कि वह रंग अंधा नहीं है. 2000 की रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि 1976 की मेडिकल रिपोर्ट न तो ग़लत थी और न ही किसी लापरवाही का नतीजा थी। इस प्रकार भले ही 2000 की परीक्षण रिपोर्ट ने प्रदर्शित किया हो कि 1976 की परीक्षण रिपोर्ट गलत थी पहले की चिकित्सा राय या रिपोर्ट के संबंध में किसी भी लापरवाही या लापरवाही को जिम्मेदार ठहराना संभव नहीं होगा क्योंकि बाद के परीक्षण परिणाम उपकरण का उपयोग करके दर्ज किए गए थे। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति पर आधारितए जो पहले के परीक्षणों के समय उपलब्ध नहीं थे। उच्च न्यायालय के स्पष्ट निष्कर्षों के मद्देनजर कि 1976 की चिकित्सा राय वास्तविक थी और भले ही प्रतिवादी 1976 में चिकित्सकीय रूप से फिट पाया गया हो 1980 या उसके बाद लिखित परीक्षा उत्तीर्ण किए बिनाए उसे ए एस टी ई के रूप में नियमित आधार पर पदोन्नत नहीं किया जा सकता था। प्रतिवादी का पूरा मामला अस्थिर हो जाता है। मेडिकल परीक्षा के संबंध में या 1976 में तदर्थ पद पर उनकी

पदोन्नति न होने के संबंध में कोई लापरवाही/मनमानापन नहीं था। प्रतिवादी के मामले में कोई अन्याय नहीं हुआ है। (पैरा 12 और 15.18) 992.एबीय 994.एबीय 995.ईएचय 996.एबीय 995.एफएचय 996 ए.बी,

2.2 सहानुभूति कानून के स्पष्ट सिद्धांतों और तथ्य के निष्कर्षों या देरी और देरी के प्रभाव को मिटा नहीं सकती है मौजूदा मामले में रिट याचिका में प्रार्थना पूर्वव्यापी पदोन्नति के लिए थी। उच्च न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी ऐसी पदोन्नति का हकदार नहीं था। यह भी माना गया कि जो अस्वीकार किया गया वह केवल एक तदर्थ पदोन्नति थी और पाया गया कि प्रतिवादी वर्ष 1980 में लिखित परीक्षा में असफल हो गया था और इसलिएए नियमित पदोन्नति का हकदार नहीं होगा भले ही वह रंग अंधा न हो । 1976 में प्रतिवादी को तदर्थ आधार पर पदोन्नत करने में विफलता का उसकी नियमित पदोन्नति की संभावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ा। सभी घटनाओं में तदर्थ पदोन्नति के लिए उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकार करना उचित कारणों से था। इसलिएए इस अस्पष्ट धारणा के आधार पर मुआवजा देना उच्च न्यायालय के लिए उचित नहीं था कि 1976 में जो कुछ हुआ उसके कारण प्रतिवादी को अवसर की हानि और मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा। उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया गया है और ट्रिब्यूनल के आदेश को खारिज कर दिया गया है। प्रतिवादी द्वारा दायर मूल आवेदन बहाल कर दिया गया। [पैरा19-20] [996-सी-जी,]

केस कानून संदर्भ:

2009 (16) एससीआर 249 पैरा 14 पर निर्भर था ।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1783/2005

मद्रास उच्च न्यायालय, की रिट याचिका संख्या 4078/2001 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 10.03.2004 से।

अरविन्द कुमार शर्मा अपीलकर्ताओं की ओर से ।

आर. नेदुमारन प्रतिवादी की ओर से ।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश आर.वी.रवीन्द्रन जे.द्वारा पारित किया गया

1. प्रतिस्थापन के लिए आवेदन की अनुमति। अपीलकर्ताओं को मृत प्रतिवादी के कानूनी उत्तराधिकारियों को रिकॉर्ड पर लाने की अनुमति है। शीर्षक में संशोधन किया गया । सुना गया ।

2. प्रतिवादी अनुसूचित जाति से संबंधित मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक वर्ष 1976 में दक्षिणी रेलवे के सिग्नल और दूरसंचार के वरिष्ठ अनुभाग अभियंता के रूप में काम करते हुए सहायक के पद पर तदर्थ पदोन्नति के लिए अन्य लोगों के साथ विचार किया गया था । सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर (संक्षेप में एएसटीई)। जिन लोगों ने मेडिकल परीक्षा उत्तीर्ण की (जिसमें यह पता लगाने के लिए परीक्षण

शामिल थे कि क्या उम्मीदवार रंग अंधापन से पीड़ित नहीं थे) उन्हें तदर्थ पदोन्नति दी गई। हालाँकि प्रतिवादी की मेडिकल जांच रिपोर्ट से पता चला कि वह कलर ब्लाइंड था और इसलिए उसे एएसटीई के रूप में तदर्थ पदोन्नति नहीं दी गई थी।

3. वर्ष 1980 में प्रतिवादी द्वितीय श्रेणी समूह (बी) सेवाओं (एएसटीई सहित) में नियमित पदोन्नति के लिए लिखित परीक्षा में शामिल हुआ लेकिन अर्हता प्राप्त करने में विफल रहा और उसे पदोन्नत नहीं किया गया। प्रतिवादी के अनुसारए तीन अन्य अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को पहले एएसटीई के रूप में तदर्थ पदोन्नति दी गई थी और जो लिखित परीक्षा में भी असफल रहे थे उन्हें असफल अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन करने की सरकार की नीति के मद्देनजर पदोन्नत किया गया था। प्रतिवादी के अनुसारए यदि उन्हें वर्ष 1976 में तदर्थ पदोन्नति दी गई होती तो लिखित परीक्षा में असफल होने के बावजूद उन्हें एएसटीई के रूप में नियमित पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का बेहतर मौका होता।

4. 1981 में एएसटीई के पद को (सुरक्षा श्रेणी) का पद घोषित किया गया था जिसका अर्थ था कि उम्मीदवारों को चिकित्सकीय रूप से फिट होने के अलावा रंग अंधापन से मुक्त होना चाहिए। हालांकि एएसटीई के पद पर पदोन्नति के लिए बाद में कई परीक्षाएं हुईं लेकिन प्रतिवादी ने भाग

नहीं लिया। हालाँकि 1976 के बाद प्रतिवादी ने रंग अंधापन का इलाज खोजने के लिए कई प्रयास कि और भारत और विदेशों में विभिन्न डॉक्टरों से परामर्श करना जारी रखा।

5. जब प्रतिवादी ने वर्ष 1998 में बीई की डिग्री हासिल की तो उसे ग्रुप (बी) पदोन्नति के लिए योग्य उम्मीदवार के रूप में सूचीबद्ध होने के लिए मेडिकल परीक्षा के लिए भेजा गया। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट अनुकूल थी ण् इसलिए उन्हें 24.9.1998 को तदर्थ आधार पर सहायक कार्य प्रबंधक के रूप में पदोन्नत किया गया। इसके बाद प्रतिवादी ने दिनांक 28.12.1998 और 3.9.1999 को अभ्यावेदन दिया और तर्क दिया कि उसे 1976 में रंग अंधापन के आधार पर अनुचित रूप से तदर्थ पदोन्नति देने से इनकार कर दिया गया था और उसे 1976 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ एएसटीई के रूप में ऐसी पदोन्नति दी जानी चाहिए साथ ही सभी परिणामी पदोन्नति भी दी जानी चाहिए। चूंकि उस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया थाए प्रतिवादी ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणए चेन्नई (संक्षेप में न्यायाधिकरण) के समक्ष ओ.ए. नंबर 1267/1999 में एक आवेदन दायर किया और अपीलकर्ताओं को उसे उप प्रमुख एस एंड टी वर्कशॉप पदनूर के पद पर पदोन्नत करने का निर्देश देने सहित उन्हें कई अन्य पदोन्नतियां देने की प्रार्थना कीए जिसके लिए वे 1976 से हकदार होते यदि वह कलर ब्लाइंड नहीं होते। उक्त आवेदन में उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 1976 में की गई चिकित्सा परीक्षा लापरवाही और लापरवाही से की गई थी जिससे

उन्हें तदर्थ आधार पर एएसटीई के रूप में पदोन्नत होने के अवसर से वंचित कर दिया गया और इसलिए अपीलकर्ताओं को उनकी वरिष्ठता के आधार पर सभी पदोन्नति देकर उनकी शिकायत का निवारण करना चाहिए जिसके वे हकदार थे। उनके अनुसार यदि उन्हें वर्ष 1976 में एएसटीई के रूप में पदोन्नत किया गया होता तो वर्ष 1999 तक वे कई और पदोन्नति हासिल कर चुके होते और एस एंड टी वर्कशॉप के उप प्रमुख के पद तक पहुंच गए होते। उक्त आवेदन को ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 22.12.1999 के आदेश द्वारा पदोन्नति की मांग करने वाले उनके लंबित अभ्यावेदन पर विचार करने के निर्देश के साथ निपटाया गया था।

6. उक्त निर्देश के अनुपालन मेंए महाप्रबंधक दक्षिणी रेलवे ने उनके अभ्यावेदन पर विचार किया और प्रतिवादी को दिनांक 8.2.2000 को निम्नलिखित संचार भेजा

"पुराने रिकार्ड खंगाले गए हैं। वे स्पष्ट रूप से बताते हैं कि आपको रंग अंधापन था आपने भी इसे स्वीकार कर लिया था और अपने दिनांक 8.11.1976 के पत्र के माध्यम से रंग अंधापन के लिए उपयोग किए जाने वाले "एक्स. क्रोम" कॉन्टैक्ट लेंस का उपयोग करने की अनुमति मांगी थी जो केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में उपलब्ध है।

संभवतः दृष्टि के ऐसे दोष के सुधार से आपको वर्ष 1998 में आयोजित चिकित्सा परीक्षण में फिट घोषित किया जा सकता था।

कलर विजन सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस पहनने का नग्न आंखों से परीक्षण से पता नहीं लगाया जा सकता है। आगे की जांच में इसकी पुष्टि संभव हैण् तदनुसारए आपको शीघ्र ही सीएमडी द्वारा नियुक्त की जाने वाली एक समिति द्वारा विशेष चिकित्सा परीक्षण के लिए निर्देशित करने का प्रस्ताव है।"

7. प्रतिवादी ने दिनांक 8.2.2000 के आदेश को रद्द करने के लिए ओ.ए.नंबर 460/2000 दायर करके फिर से ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया और अपीलकर्ताओं को 1991 से पूर्वव्यापी प्रभाव से उप प्रमुख एस एंड टी वर्कशॉप के पद पर पदोन्नत करने का निर्देश देने की मांग की जब उनकी पदोन्नति उक्त पद देय थी। । इस आवेदन में उन्होंने पहले के आवेदन(ओए नंबर 1267/1999) में दिए गए कथनों और तर्कों को दोहराया।

8. जैसा कि दिनांक 8.2.2000 के आदेश में निर्णय लिया गया था प्रतिवादी को मेडिकल जांच के लिए दक्षिणी रेलवे अस्पताल हॉस्पीटल, पेरम्बूर के चिकित्सा निदेशक के पास भेजा गया जिन्होंने बदले में उसे रंग अंधापन के व्यापक परीक्षण के लिए भेजा। शंकरा नेत्रालय में विशेषज्ञों की एक टीम चेन्नई के एक प्रसिद्ध नेत्र केंद्र नेत्रालय ने नवीनतम उपकरणों का उपयोग करके उनकी जांच की और पाया कि उनका रंग अंधापन न्यूनतम था जिससे उनके काम में कोई बाधा या प्रभाव नहीं पड़ेगा।

9. ट्रिब्यूनल ने दिनांक 18 ण्10 ण्2000 के आदेश द्वारा प्रतिवादी के आवेदन (ओए नंबर 460/2000) को खारिज कर दिया। ट्रिब्यूनल ने माना कि यदि प्रतिवादी वर्ष 1976 में तदर्थ आधार पर एएसटीई के रूप में अपनी पदोन्नति न होने से व्यथित था तो उसे 23 साल से अधिक समय तक चुप नहीं रहना चाहिए था और प्रतिवादी के लिए इस मुद्दे को फिर से वर्ष 1999.2000 में खोलने की मांग करना खुला नहीं था। ट्रिब्यूनल ने यह भी माना कि 1976 में मेडिकल परीक्षा केवल अस्थायी अवधि के लिए प्रस्तावित तदर्थ पदोन्नति के संदर्भ में थी और चूंकि प्रतिवादी वर्ष 1980 में नियमित पदोन्नति के लिए लिखित परीक्षा में असफल रहा था और उसके बाद किसी भी परीक्षा में उपस्थित होने में विफल रहा था। पदोन्नति परीक्षाओं में,वह एएसटीई के पद पर पदोन्नति न होने के संबंध में शिकायत नहीं कर सका।

10. प्रतिवादी ने ट्रिब्यूनल के फैसले को डब्लू पी संख्या 407/2001 में चुनौती दी। रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी को 22.11.2002 को एएसटीसी के रूप में पदोन्नति दी गई और वह 30.4.2003 को सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने अंततः निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज करते हुए दिनांक 10.3.2004 के आक्षेपित आदेश द्वारा उक्त रिट याचिका का निपटारा कर दिया ।

(ए) रंग अंधापन लाइलाज है। 1998 और 2000 में यह निष्कर्ष निकला कि प्रतिवादी रंग अंधा नहीं था जिससे यह निष्कर्ष निकला कि 1976 में पहले किया गया निदान कि वह रंग अंधा था गलत था।

(बी) लेकिन भले ही वह वर्ष 1976 में कलर ब्लाइंड और चिकित्सकीय रूप से फिट नहीं पाया गया हो प्रतिवादी ने नियमित पदोन्नति होने तक केवल तदर्थ आधार पर एएसटीई का पद संभाला होगा। जब तक वह नियमित लिखित परीक्षा में सफल नहीं हो जाता और पदोन्नति के लिए न्यूनतम मानकों को पूरा नहीं करता उसे नियमित आधार पर एएसटीई के रूप में पदोन्नत नहीं किया जाता। मानकों में ढील देने के बाद भी प्रतिवादी वर्ष 1980.81 में आयोजित परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया और इसलिए उसे एएसटीई के रूप में पदोन्नत नहीं किया जा सकता थाए भले ही वह कलर ब्लाइंड न हो और इसलिए प्रतिवादी का तर्क है कि उसने आगे की पदोन्नति खो दी है स्वीकार योग्य नही है।

(सी) एएसटीई के पद को वर्ष 1981 में सुरक्षा पद के रूप में वर्गीकृत किया गया थाय चूंकि रेलवे का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा सर्वोपरि थी और चिकित्सा राय यह थी कि प्रतिवादी रंग अंधा थाए यह नहीं कहा जा सकता है कि वर्ष में उसे तदर्थ आधार पर वर्ष 1976 में, पदोन्नत न करना अवैध था। 1976 में उन्हें तदर्थ आधार पर पदोन्नत न

करने में रेलवे की ओर से कोई दुर्भावना नहीं थी और अपीलकर्ताओं ने जानबूझकर प्रतिवादी के कारण कानूनी रूप से कोई लाभ नहीं रोका था।

(डी) 1976 में उपलब्ध नेत्र परीक्षण उपकरणों की प्रकृति और मानक को ध्यान में रखते हुएए डॉक्टरों की राय कि प्रतिवादी कलर ब्लाइंड था प्रामाणिक था और इसे सक्षमता की कमी या लापरवाही के कारण नहीं कहा जा सकता था। और किसी भी राहत की मांग के लिए प्रतिवादी को कार्रवाई का कोई कारण प्रस्तुत नहीं करेगा। तथ्य यह है कि दो दशक से भी अधिक समय के बाद तकनीकी रूप से उन्नत परीक्षण उपकरणों का उपयोग करके, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध अस्पताल में डॉक्टरों की एक टीम ने पाया था कि वह चिह्नित रंग अंधापन से पीड़ित नहीं थे केवल यह दिखाया गया था कि दूसरा निदान व्यापक परीक्षा प्रक्रिया के कारण था। उस स्तर पर तकनीकी रूप से उन्नत उपकरण उपलब्ध थे और यह स्थापित नहीं हुआ कि 1976 में राय दुर्भावनापूर्ण या लापरवाहीपूर्ण थी।

(ई) हालाँकिए प्रतिवादी को 1976 की चिकित्सा राय के कारण 1976.1981 तक तदर्थ आधार पर एएसटीई के उच्च पद को धारण करने के अवसर से वंचित कर दिया गया था। यदि उसे तदर्थ आधार पर 1976 से 1981 तक एएसटीई के पद को धारण करने की अनुमति दी गई थी तो वह संभवतः1980.81 में आयोजित परीक्षा में सफल हुए होते और नियमित आधार पर एएसटीई के रूप में पदोन्नत हुए होते।

(एफ) चूंकि प्रतिवादी को केवल वर्ष 1998 में ही इस तथ्य के बारे में पता चल गया था कि वह कलर ब्लाइंड नहीं हैए 1999 और 2000 में दायर राहत के लिए उसके आवेदनों को विलम्ब से पीड़ित नहीं कहा जा सकता है।

उच्च न्यायालय ने माना कि इस तथ्य के कारण कि 1976 में निदान ने उन्हें अपने करियर में उन्नति से वंचित कर दिया था उन्हें अवसर की हानि और मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजा देना आवश्यक था और इसलिए अपीलकर्ताओं को प्रतिवादी को मुआवजे के रूप में दो लाख रूपयें राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया । उक्त आदेश को इस अपील में विशेष अनुमति द्वारा चुनौती दी गयी है।

11. उठाए गए विवादों परए हमारे विचार के लिए निम्नलिखित प्रश्न उठते हैं :

(i) क्या प्रतिवादी का दावा देरी और विलंब के आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था?

(ii) क्या उच्च न्यायालय का आदेश इस आधार पर हस्तक्षेप की मांग करता है कि अंतिम निर्णय उसके द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के विपरीत है ?

(iii) तथ्यों और परिस्थितियों पर क्या उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को दो लाख रुपये का मुआवजा देना उचित था ?

पुनः प्रश्न(i)

12. प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियमए 1985 की धारा 21 न्यायाधिकरण से संपर्क करने की सीमा निर्धारित करती है। इस मामले में प्रतिवादी की चिकित्सा जांच और तदर्थ एएसटीई के रूप में पदोन्नति न होने की बात वर्ष 1976 में हुई थी। प्रतिवादी ने इस निदान को स्वीकार कर लिया कि वह कलर ब्लाइंड है और उसने अपनी पदोन्नति न होने के संबंध में कोई शिकायत नहीं की। दूसरी ओर उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका से उपचार या सुधार संपर्क लेंस प्राप्त करने का प्रयास किया (रंग अंधा को रंगों को सही ढंग से अलग करने में सहायता के लिए) गैर-चुनौती के कारण 1976 में उनके गैर-चयन से संबंधित मुद्दे को अंतिम रूप दिया गया और उसी मुद्दे को वर्ष 1999-2000 में फिर से नहीं खोला जा सका इस आधार पर कि 1998 और 2000 में कि गए मेडिकल परीक्षणों से पता चला कि उन्हें रंगअंधाता नही थी।

13. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जो कोई भी पदोन्नति न होने या चयन न होने से व्यथित महसूस करता है उसे यथाशीघ्र न्यायालय न्यायाधिकरण से संपर्क करना चाहिए। यदि उचित शिकायत वाला कोई व्यक्ति मामले को पुराना होने देता है और देर से न्यायालय न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाता है तो ऐसे विलंबित आवेदन के आधार पर कोई भी राहत देने से नियोक्ता के लिए गंभीर प्रशासनिक जटिलताएँ पैदा होंगी और

अन्य कर्मचारियों के लिए कठिनाइयाँ होंगी। पिछले कुछ वर्षों में दूसरों को दी गई वरिष्ठता और पदोन्नति के संबंध में स्थापित स्थिति को बिगाड़ दिया है। इसके अलावाए जहां कार्रवाई के कारण की तारीख से एक या दो दशक के बाद कोई दावा किया जाता है तो नियोक्ता को दावे का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने या उसका मुकाबला करने में बहुत नुकसान होगा क्योंकि मामले औरध्या संबंधित रिकॉर्ड से निपटने वाले अधिकारी मामले से संबंधित अब उपलब्ध नहीं हो सकता है। इसलिएए भले ही कोई सीमा अवधि निर्धारित न हो किसी भी विलंबित चुनौती को देरी के आधार पर खारीज किये जाने के लिए दायी होगी।

14. यह एक विशिष्ट मामला है जहां एक कर्मचारी दो दशकों के बाद किसी बासी और पुराने मामले में अभ्यावेदन देता है और ट्रिब्यूनल से उस पर विचार करने और उसका निपटान करने का निर्देश प्राप्त करता है (और उसके बाद फिर से ट्रिब्यूनल में जाकर आरोप लगाते हैं कि अभ्यावेदन के निपटान में देरी हो रही है या यदि अभ्यावेदन को खारिज करने का आदेश है, तो अभ्यावेदन की अस्वीकृति की तारीख को कारण की तारीख मानते हुए अस्वीकृति को चुनौती देने के लिए एक आवेदन दायर करें)। इस न्यायालय को भारत संघ बनाम एम.के.सरकार [2010(2) एससीसी 58, मामले में ऐसी स्थितियों की जांच करने का अवसर मिला था। और इस प्रकार निष्कृषित किया गया ।

"ट्रिब्यूनल के आदेश ने योग्यता की जांच किए बिना प्रतिवादी के पहले आवेदन की अनुमति दी और अपीलकर्ताओं को उसके प्रतिनिधित्व पर विचार करने का निर्देश दियाए जिससे अनावश्यक मुकदमेबाजी और टालने योग्य जटिलताओं को जन्म दिया गया है।

जब किसी 'बासी' या के संबंध में देर से प्रतिनिधित्व किया जाता है 'मृत' मुद्दे/विवाद पर विचार और निर्णय लिया जाता है,तो ऐसे निर्णय की तारीख को "मृत" मुद्दे या कालबाधित विवाद को पुनर्जीवित करने के लिए कार्रवाई का कारण, नया प्रस्तुत करने के रूप में नहीं माना जा सकता है। सीमा या देरी और देरी के मुद्दे पर कार्रवाई के मूल कारण के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिएए न कि उस तारीख के संदर्भ में जिस दिन अदालत के निर्देश के अनुपालन में आदेश पारित किया जाता है। न तो योग्यता की जांच किए बिना जारी किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने का अदालत का निर्देश न ही ऐसे निर्देश के अनुपालन में दिया गया निर्णय सीमा को बढ़ाएगा या देरी और खामियों को मिटाएगा।

किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण को किसी दावे या अभ्यावेदन पर "विचार" करने का निर्देश देने से पहले यह जांच करनी चाहिए कि क्या दावा या अभ्यावेदन किसी "जीवित" मुद्दे के संदर्भ में है या क्या यह "मृत" या "बासी" मुद्दे के संदर्भ में है। यह किसी "मृत" या "बासी" मुद्दे या विवाद के संदर्भ में है न्यायालय न्यायाधिकरण को मामले को समाप्त

कर देना चाहिए और विचार या पुनर्विचार का निर्देश नहीं देना चाहिए। यदि न्यायालय या न्यायाधिकरण गुणों की जांच किए बिना "विचार"का निर्देश देने का निर्णय लेता है तो उसे यह स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसा विचार सीमा या देरी और विलंब से संबंधित किसी भी विवाद पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा। भले ही न्यायालय स्पष्ट रूप से ऐसा न कहे यह कानूनी स्थिति और प्रभाव होगा।"

इसलिए हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय को देरी और विलंब के आधार पर 1976 से पूर्वव्यापी पदोन्नति के लिए प्रतिवादी के आवेदन को खारिज करने वाले ट्रिब्यूनल के आदेश की पुष्टि करनी चाहिए थी।

पुनः प्रश्न (ii)

15. यह तथ्य कि प्रतिवादी का 1976 में चिकित्सीय परीक्षण किया गया था और वह कलर ब्लाइंड पाया गया था विवादित नहीं है। प्रतिवादी ने तदर्थ एएसटीई के रूप में अपनी पदोन्नति न होने या उस मेडिकल रिपोर्ट को चुनौती नहीं दी कि वह कलर ब्लाइंड है। वह 1980 में परीक्षा में बैठा और असफल हो गया । उनके अनुसार वर्ष 1998 में एक बाद की चिकित्सा जांच में उन्हें सामान्य पाया गया और 2000 में एक और विस्तृत चिकित्सा जांच से पता चला कि उनकी रंग अंधापन न्यूनतम थी जो एएसटीई के रूप में उनके कर्तव्यों के निर्वहन को प्रभावित नहीं करेगी। इसलिए प्रतिवादी चाहता है कि अदालत यह निष्कर्ष निकाले कि 1976 में

रंग अंधापन का निदान गलत था और तत्कालीन मेडिकल बोर्ड की लापरवाही के कारण उसे परेशान नहीं किया जा सकता था।

16. उच्च न्यायालय ने पाया है कि योग्य मेडिकल बोर्ड ने वर्ष 1976 में उनकी जांच की थी और चिकित्सा परीक्षण के परिणामों के आधार पर एक वास्तविक राय दी थी। हाई कोर्ट ने यह भी पाया कि वर्ष 1998 और 2000 में किए गए परीक्षणों से एक अलग स्थिति का पता चला। उच्च न्यायालय ने पाया कि 1976 में इस्तेमाल किए गए उपकरण रंग अंधापन की सीमा का सटीक निदान करने में असमर्थ थे और 1998/2000 में परीक्षण के लिए उपलब्ध अधिक परिष्कृत उपकरणों ने रंग अंधापन की सटीक सीमा को मापना और पता लगाना संभव बना दिया। यह दिनांक 11.3.2000 की परीक्षण रिपोर्ट से स्पष्ट है।

17. शंकरा नेत्रालय की परीक्षण रिपोर्ट का प्रासंगिक भाग निकालते हैं,(जो11.3.2000 को दिया गया प्रतिवादी द्वारा अपने जवाबी हलफनामे में दिया गया)

"रंग दृष्टि परीक्षण"

"Ishihara's test," का परीक्षण आजकल मुख्य रूप से स्क्रीनिंग विधि के रूप में उपयोग किया जाता है। हम अन्य पुराने लालटेन परीक्षण नहीं करते हैं।

FARNS WORTH MUNSELL-100 ह्यू टेस्ट-रंग दृष्टि की जांच के लिए उपलब्ध सबसे उन्नत तकनीक है।

Ishihara's के चार्ट द्वारा उनका रंग दृष्टि परीक्षण किया गयाए जिसमें दोनों आंखों में सामान्य प्रतिक्रिया देखी गई। बाद में उनकी दोनों आँखों में फ़ार्न्स वर्थ मुन्सेल.100 ह्यू टेस्ट हुआए जिसमें कम त्रुटि स्कोर दिखाया गया जो न्यूनतम रूप से खराब रंग भेदभाव का सूचक था।

ऐसा महसूस किया गया कि त्रुटि सीखने की अवस्था के कारण हुई है क्योंकि FARNS WORTH MUNSELL-100 ह्यू परीक्षण करना कठिन है। हम रोगी को निदान को प्रमाणित करने के लिए फ़ार्न्स वर्थ मुन्सेल-100 ह्यू टेस्ट के साथ दोबारा परीक्षण कराने की सलाह देते हैं।

लेकिन मरीज ने अगले दिन परीक्षण कराने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे लगा कि रंग दृष्टि परीक्षण के लिए रेलवे मानदंडों के अनुसार इसकी आवश्यकता नहीं है। यह उन्होंने हमें लिखित रूप में सौंपा है।" जोर दिया गया ।

इस प्रकार 2000 के परीक्षण ने 1976 के निदान को दोहराया कि प्रतिवादी में रंग भेदभाव ख़राब था। लेकिन उन्नत उपकरणों द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली सटीकता के साथ प्रारंभिक परीक्षणों से पता चला कि रंग

अंधापन की डिग्री मामूली थी। लेकिन प्रतिवादी ने रंग अंधापन की वास्तविक सीमा का पता लगाने और पुष्टि करने के लिए आगे के परीक्षण कराने से इनकार कर दिया। उपरोक्त रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि 1976 की मेडिकल रिपोर्ट न तो ग़लत थी और न ही किसी लापरवाही का नतीजा थी। हम यह स्पष्ट करते हैं कि भले ही 2000 की परीक्षण रिपोर्ट ने प्रदर्शित किया हो कि 1976 की परीक्षण रिपोर्ट गलत थीए लेकिन पहले की चिकित्सा राय या रिपोर्ट के संबंध में किसी भी लापरवाही या असावधानी को जिम्मेदार ठहराना संभव नहीं होगा क्योंकि बाद के परीक्षण परिणाम वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति पर आधारित उपकरणों का उपयोग करकेए दर्ज किए गए थे जो पहले के परीक्षणों के समय उपलब्ध नहीं थे।

18. उच्च न्यायालय के स्पष्ट निष्कर्षों के मद्देनजर कि 1976 की चिकित्सा राय वास्तविक थी और भले ही प्रतिवादी 1976 में चिकित्सकीय रूप से फिट पाया गया होए 1980 या उसके बाद लिखित परीक्षा उत्तीर्ण किए बिनाए उसे नियमित आधार पर एएसटीई के रूप में पदोन्नत नहीं किया जा सकता था। प्रतिवादी का पूरा मामला अस्थिर हो जाता है। मेडिकल परीक्षा के संबंध में या 1976 में तदर्थ पद पर उनकी पदोन्नति न होने के संबंध में कोई लापरवाही या मनमानी नहीं हुई। प्रतिवादी के मामले में कोई अन्याय नहीं हुआ है।

पुनः प्रश्न (iii)

19. याचिका में प्रार्थना पूर्वव्यापी पदोन्नति के लिए थी। उच्च न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्ता ऐसी पदोन्नति का हकदार नहीं था। उच्च न्यायालय ने यह भी माना कि जो अस्वीकार किया गया वह केवल एक तदर्थ पदोन्नति थी और पाया कि प्रतिवादी वर्ष 1980 में लिखित परीक्षा में असफल रहा और इसलिए वह नियमित पदोन्नति का हकदार नहीं होगा भले ही वह कलर ब्लाइंड न हो । 1976 में प्रतिवादी को तदर्थ आधार पर पदोन्नत करने में विफलता का उसकी नियमित पदोन्नति की संभावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ा। सभी घटनाओं में तदर्थ पदोन्नति के लिए उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकार करना उचित कारणों से था। इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा इस अस्पष्ट धारणा पर मुआवजा देना उचित नहीं था कि 1976 में जो कुछ हुआ उसके कारण प्रतिवादी को अवसर की हानि और मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा। सहानुभूति कानून के स्पष्ट सिद्धांतों और तथ्य के निष्कर्षोंए या देरी के प्रभाव को मिटा नहीं सकती है।

20. इसलिए हम इस अपील को स्वीकार करते हैंए उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हैं और प्रतिवादी द्वारा दायर मूल आवेदन को खारिज करने वाले ट्रिब्यूनल के आदेश को बहाल करते हैं। यदि इस मुकदमेबाजी के मद्देनजर कोई टर्मिनल लाभ रोका गया हैए तो कोई अन्य आपत्ति /दावा न होने पर उसे बिना किसी देरी के जारी किया जाना चाहिए।

आरपी

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल ''सुवास'' की सहायता से अनुवादक, सुरेश कुमार सेन (आर0जे0एस0), न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, खैरवाड़ा, जिला उदयपुर(राज0) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है। और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा। और निस्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।